मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी R 4224-II-16

श्री ...... द्वारा आज दि 15-12-16 को प्रस्तुत 15-12-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

772
15-12-16

बंशीलाल ग्वाल पुत्र श्री हरचन्दा ग्वाल, आयु 56 वर्ष, व्यवसाय शासकीय सेवा, निवासी ग्राम बदरवास, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0) -- आवेदक

बनाम

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कृष्ण गोयल, आयु 66 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, निवासी - ग्राम बदरवास, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म0प्र0) -- अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2016 पारित न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 310/ 2015-16 अपील।

15/12/16

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, ग्राम बदरवास, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1191 एवं से लगा हुआ सर्वे क्रमांक 1190 है, उसके मध्य में मेढ स्थित नहीं है। सर्वे क्रमांक 1191 के सम्पूर्ण रकवा होकर जिसमें अपीलार्थी के साथ अन्य सह-खातेदार 35 व्यक्ति है। उक्त सर्वे क्रमांक 1191के सह-खातेदारों के मध्य आज दिनांक तक कभी बंटवारा नहीं हुआ है।

2- यहकि, अनावेदिका श्रीमती विमला देवी द्वारा विवादित सर्वे क्रमांक 1191 के मिन सर्वे क्रमांक 1191/4 मिन-1 रकवा 0.21 है0 के संबंध में धारा 250 भू-राजस्व संहिता का एक आवेदन श्रीमान् न्यायालय तहसीलदार महोदय, बदरवास, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 09/13-14/अ-70 पर दर्ज किया जाकर आवेदक को एक कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26.04.2014 को प्रेषित किया गया। जिसका जबाव आवेदक द्वारा दिनांक 03.05.2014 को प्रस्तुत किया। जिसमें बिना साक्ष्य लिये हुए आदेश दिनांक 06.09.2014 को पारित किया, जिसकी अपील मेमों के साथा धारा 5 अवधि मय शपथपत्र एवं संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत की। जो प्रकरण क्रमांक 15/14-15 पर दर्ज किया जाकर आवेदक की अपील के तथ्यों का नजरअंदाज करते हुए धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर यह कहकर उपरोक्त प्रकरण निरस्त कर दिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4224-दो/2016 जिला - शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
06-01-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित होकर अपने तर्क व्यस्त किए कि, ग्राम बदरवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1191 से लगा हुआ, सर्वे क्रमांक 1190 है। दोनों के मध्य मेढ स्थित नहीं है और सर्वे क्रमांक 1191 के अन्य सह-खातेदारों के मध्य अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा तहसीलदार बदरवास के समक्ष सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें विधिवत राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट मय पंचनामा आदेश दिनांक 05.06.15 को आदेश पारित कर बताया गया कि सर्वे क्र. 1190 एवं 1191 के मध्य में मेढ न होने से जिला रिकॉर्ड में नक्शा की सन्दर्भ शीट न होने के कारण सीमांकन नहीं किया जा सकता, जो संलग्न रिकॉर्ड से स्पष्ट है साथ ही तहसीलदार बदरवास द्वारा अनावेदिका के आवेदन पर एस0डी0ओ0 के निर्देश पर तहसीलदार बदरवास द्वारा राजस्व निरीक्षक, प्रतिवेदन दिनांक 26.01.16 एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 11.02.16 के अवलोकन से पाया गया कि दोनों सीमांकनों में, सीमांकन रिपोर्ट एवं प्रतिवेदनों भिन्नता होने के कारण और उसके आधार पर तहसीलदार बदरवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। आवेदक द्वारा तहसीलदार बदरवास के आदेश दिनांक 06.09.2014 की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 15/2014-15 अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका कोई खण्डन शपथ-पत्र अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत न होने के उपरांत भी आवेदक की अपील को अवधि वाह्य मानने में गंभीर त्रुटि की है। न्यायदृष्टांत	

ए.आई.आर. 1987 पेज 1353-एस.सी. एवं 2001(9) एस.एस.सी.-294-एस.सी. के अवलोकन से पाया गया कि न्याय की विफलता न हो सद्भाविक तौर पर व्यतीत समय अवधि के अन्तर्गत अपील मान्य की जाती है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपीलीय प्रकरण क्रमांक 310/2015-16 में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.06.2016 के द्वारा जिला अधीक्षक, भू-अभिलेख, शिवपुरी को दिये निर्देश के आधार पर भू-अभिलेख, शिवपुरी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 931/भू.अ./रा.नि./2016 शिवपुरी, दिनांक 27.06.2016 के द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अवगत कराया गया कि उपरोक्त विवादित सर्वे नम्बरानों के मध्य एवं सह-खातेदारों के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सीमांकन नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा उक्त पत्र के संबंध में एवं आवेदक की आपत्ति पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही न्याय की विफलता को नजर अदांज कर द्वितीय अपील को भी अवधि वाह्य मानने में गंभीर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं न्याय की विफलता न हो। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 30.11.16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। साथ ही जब बंटवारा नहीं हुआ, तब सीमांकन नहीं किया जा सकता। गलत विभिन्न सीमांकन रिपोर्टो के आधार पर प्रचलित धारा 250 की कार्यवाही नियमों के विपरीत होने से निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार बदरवास को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वे क्रमांक 1191 एवं 1190 दोनों का सीमांकन कर मेढ स्थापित करें, तत्पश्चात् सर्वे क्रमांक 1191 के सभी सह-भूमिस्वामियों के मध्य विधिवत बंटवारा कर, तत्पश्चात् सीमांकन किया जावें। उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुण-दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे। यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य